संख्याः325/कृषि/रिट–2(15)2002

प्रेषक,

डॉ0 पी0एस0गुसांई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
कृषि एवं भूमि संरक्षण,
उत्तरांचल पौड़ी,
कैम्प–देहरादून।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग — देहरादून : दिनांकः 22 मार्च, 2002

विषयः **कृषि विभाग के सरप्लस कार्मिकों को विभागीय बजट से ही वेतन दिया जाना।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः उ0कृ0शि0/3329/स्था–5/सरप्लस/2001–02, दिनांक 19–2–2002 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कृषि विभाग की कृषि आपूर्ति योजना के सरप्लस स्टाफ के लिए विभागीय बजट से वेतन आहरण किये जाने के विषय में है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जब तक सरप्लस कर्मचारियों का समायोजन अन्य विभाग में नही हो जाता, तब तक सरप्लस चिन्हित कार्मिक विभाग के ही कार्मिक हैं और उनके वेतन आदि की व्यवस्था विभागीय बजट से ही की जाय। जिन कार्मिकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर की गई हैं तथा मा0 न्यायालय ने इन कार्मिकों के संबंध में अन्तरिम आदेश /निर्णय दिये हैं, को निष्प्रभावी किये जाने के संबंध में रिट याचिकाओं का प्रतिवाद प्रभावी रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. सरप्लस कर्मचारियों को समायोजित किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग के पत्रसंख्या 243/कार्मिक–2–2002, दिनांक 15–2–2002 के साथ संलग्न प्रारूप की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे पुनः यह कहना है कि संलग्न पत्र में मॉगी गई सूचना तत्काल निर्धारित प्रारूप पर दो दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ पी0एस0 गुसांई)
अपर सचिव

संलग्नकःयथोपरि।